**फार्म संख्‍या 27**

(भारत सरकार का निर्णय नियम 199 के नीचे (I) देखिए)

**मोटर कार/कम्‍प्‍यूटर/स्‍कूटर की खरीद के लिए अग्रिम हेतु आवेदन-प्रपत्र**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | आवेदक का नाम  | : |
| 2. | पदनाम  | : |
| 3. | तैनाती स्‍थान / मुख्‍यालय  | : |
| 4. | वर्तमान मूल वेतन  | : |
| 5. | मोटर कार / स्‍कूटर /मोटर साईकिल / कम्‍प्‍यूटर की पूर्वानुमानित कीमत  | : |
| 6. | वांछित अग्रिम की राशि  | : |
| 7. | किस्‍तों की संख्‍या जिसमें अग्रिम का पुनर्भुगतान करना चाहते है | : |
| 8. | सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता की दिनांक  | : |
| 9. | क्‍या अग्रिम पूर्व में लिया गया है, यदि ऐसा है तो  | : |
|  | (i) | अग्रिम लेने की तिथि  | : |
|  | (ii) | अभी तक बकाया अग्रिम अथवा ब्‍याज की राशि, यदि हो  | : |
|  | (iii) | खरीद का प्रयोजन  | : |
| 10. | क्‍या आप खरीदना चाहते है  | : |
|  | (i) | नई अथवा पुरानी मोटर कार/कम्‍प्‍यूटर/मोटर साईकिल/ स्‍कूटर  | : |
|  | (ii) | यदि आप मोटर कार / कम्‍प्‍यूटर / मोटर साईकिल / स्‍कूटर किसी ऐसे व्‍यक्ति से खरीदना चाहते है जो सरकारी सेवक के साथ कार्यालयीन सम्‍बन्‍ध रखता है, तो क्‍या केन्‍द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(3) के तहत्‍ आवश्‍यक सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्‍वीकृत्ति प्राप्‍त कर ली है I  | : |
| 11.  | यदि सरकारी सेवक अवकाश पर है अथवा अवकाश पर जाने वाला है  | : |
|  | (i) | छुट्टी शुरू होने की तिथि  | : |
|  | (ii) | छुट्टी खत्‍म होने की तिथि  | : |
| 12.  | क्‍या प्रारम्भिक जॉंच में किसी प्रकार का समझौता किया गया है, जिससे अग्रिम लेने की तिथि से एक माह के भीतर मोटर कार/कम्‍प्‍यूटर/ मोटर साईकिल /स्‍कूटर प्राप्‍त हो सकें I  | : |
| 13.  | (i)  | प्रमाणित किया जाता है कि दी गई उक्‍त सूचनाऍ पूर्ण एवं सत्‍य है I |
|  | (ii) | प्रमाणित किया जाता है कि मोटर कार/कम्‍प्‍यूटर/मोटर साईकिल/स्‍कूटर, जिसके लिए मैंने अग्रिम हेतु आवेदन किया है, मैंने अभी तक प्राप्‍त नहीं की है तथा मैं अग्रिम प्राप्ति के एक माह के भीतर पूर्ण भुगतान कर सौदा पूरा कर लॅूंगा I  |

 आवेदक के हस्‍ताक्षरः

स्‍थानः नामः

दिनांकः पदनामः